न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–73/2021 (2021/189) दर्ज दिनांक 08.06.2021
प्रपत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. कन्हैया लाल पिता नंदराम ब्राह्मण निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. रेखा कुमारी पत्नि किशन लाल प्रजापति निवासी कालीमंगरी, कच्ची बस्ती, रूपनगर, भुवाना, उदयपुर जिला उदयपुर (राजस्थान)
3. राजू पिता नंदराम ब्राह्मण निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. दिलीप पुत्र रामरतन जागेटिया निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. चंदा पुत्री रामपाल जागेटिया निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. नंदु पुत्री रामपाल जागेटिया निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. नवनीत पुत्र रामपाल जागेटिया निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. मुकेश पुत्र रामपाल जागेटिया निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. मंजु पुत्री रामपाल जागेटिया निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. रामकिशोर पुत्र रामपाल जागेटिया निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. संजय पुत्र रामरतन जागेटिया निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. सुमन पुत्री रामरतन जागेटिया निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
10. संपतदेवी पत्नी रामरतन जागेटिया निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
11. प्रेम देवी पत्नी गोपाल ब्राह्मण निवासी कोठारी मौहल्ला वार्ड सं0 14 , गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
12. सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

–विपक्षीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थीगणः– श्री मनीष दाधीच

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–27.08.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण [illegible] धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के [illegible] कर ग्राम मेलुणीखेड़ा पटवार हल्का मेलुणी खेड़ा तहसील [illegible] खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3525/2247 [illegible] हे0 कुल किता का कुल रकबा 0.0928 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व [illegible] संख्या 49 पर दर्ज होकर स्थित हैं। जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.12.23 13:44:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाड़ा)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1, 8 लगायत 11 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षीगण संख्या 2 लगायत 7 के विरूद्ध प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कोई दाद नहीं चाही गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया।प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं कर ग्राम मेलुणीखेड़ा पटवार हल्का मेलुणी खेड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3525 / 2247 रकबा 0.0928 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0928 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 49 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450 / — (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450 / — (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर [illegible] हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.12.23 13:44:48 IST
Reason: SelfAttested